**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 103**

**सोमवार, 24 नवम्‍बर, 2014, 3 अग्रहायण 1936 (शक)**

**वाहनों को अनिवार्यत: वापस लिया जाना**

103. **श्री एस. थंगावेलु:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि किसी विशेष मॉडल के त्रुटिपूर्ण पाए जाने की स्थिति में शीघ्र ही वाहन विनिर्माताओं को स्वैच्छिक रूप से वाहनों को वापस लेने की आड़ में बचने की बजाय वाहन को

अनिवार्यत: वापस लेना पड़ सकता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि 100 अथवा उससे अधिक लोग किसी वाहन मॉडल में खास त्रुटि के बारे में संबंधित प्राधिकारी से शिकायत करते हैं, तो सरकार वाहन को अनिवार्यत: वापस लिए जाने हेतु विधेयक लाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

**(क) से (ग)** ऐसा कोई प्रस्‍ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

\*\*\*\*\*